

सं. 3/3/2016-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

डेस्क-एफ

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक 16 जनवरी, 2017

कार्यालय लापन

विषय : सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को समय पर जीपीएफ का अंतिम भुगतान करने से संबंधित स्पष्टीकरण - के संबंध में।


'भविष्य' के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रालयों/ विभागों के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों में यह देखा गया है कि कई मामलों में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी/ अधिकारी को सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान तत्काल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण विलंबित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।

2. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली के नियम 34 में स्पष्ट प्रावधान है कि जब अंशदाता के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि देय हो जाती है, तो भुगतान करने का दायित्व लेखा अधिकारी का होगा। भुगतान करने का प्राधिकार, अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक महीने पहले जारी किया जाएगा, किंतु वह सेवानिवृत्ति की तारीख को देय होगा। यह उल्लिखित है कि सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता को इस विभाग के दिनांक 15.11.1996 की अधिसूचना सं. 20(12)/94-पी एंड पी डब्ल्यू (ई) द्वारा समाप्त कर दिया गया है और दिनांक 23.11.1996 के एस.ओ.सं. 3228 के तहत अधिसूचित किया गया है।

3. सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 11 (4) के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। जहां सामान्यतः सेवानिवृत्ति के बाद छह महीने की अवधि के लिए ब्याज की अनुमति वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) द्वारा दी जा सकती है, वहीं छह महीने से अधिक के ब्याज के भुगतान के लिए लेखा कार्यालय के प्रमुख और एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लेखा नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार के अनुमोदन की आवश्यकता है।

4. सामान्य भविष्य निधि का समय से भुगतान सुनिश्चित करने और सेवानिवृत्ति के बाद ब्याज के अनावश्यक बोझ से बचने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां कि सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1960 के नियम 11 (4) के अनुसार सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का भुगतान अनिवार्य हो जाता है, उन मामलों को प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में सामान्य भविष्य निधि के भुगतान में देरी के लिए सभी स्तरों पर जिम्मेदार पाए जाने वाले सरकारी सेवक/सेवकों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव जिम्मेदारी तय करेंगे।

5. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 27 सितंबर, 2016 के आईडी सं. 187/E.V/2016 के तहत जारी किया जाता है।


(सीमा गुप्ता)
निदेशक

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग (मानक डाक सूची के अनुसार)
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. संघ लोक सेवा आयोग
4. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली।